मध्यप्रदेश विधान सभा

फरवरी-अप्रैल, 1995 सत्र

दैनिक कार्य सूची

बुधवार, दिनांक 5 अप्रैल, 1995 (चैत्र 15, 1917)

समय 10.30 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

श्री अजय मुशरान, वित्त मंत्री, राज्य वित्त निगम अधिनियम, 1951 (क्रमांक 63 सन् 1951) की धारा (37) की उपधारा (7) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश वित्त निगम का वार्षिक लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन (दिनांक 31 मार्च, 1991) पटल पर रखेंगे.

3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यानाकर्षण

(1) कुंवर विजय शाह, सर्वश्री बृजमोहन अग्रवाल तथा गोपाल भार्गव, सदस्य, खंडवा जिले के ग्राम सुहागी की दो आदिवासी महिलाओं के साथ पुलिस कर्मियों द्वारा दुर्व्यवहार किये जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) श्री प्रभात कुमार पाण्डेय, सदस्य, जबलपुर में समाज कल्याण बोर्ड द्वारा संचालित अनुरक्षण गृह में बालिकाओं के साथ व्यभिचार होने से उत्पन्न स्थिति की ओर महिला एवं बाल विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(3) सर्वश्री रामलखन सिंह (त्योथर) तथा ओंकार सिंह बिसेन, सदस्य, रीवा जिले के ग्राम कैथी में डकैती की घटित घटना की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(4) श्री बाबूलाल गौर, श्रीमती करुणा शुक्ला तथा श्री थावरचन्द गेहलोत, सदस्य, रायपुर में कुम्हारी स्थित केड़िया डिस्टिलरी के जलाशय के फूटने से प्रदूषण फैलने की ओर पर्यावरण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(5) श्री जयंत मलैया, सदस्य, दमोह में एक व्यक्ति की हत्या होने से उत्पन्न स्थिति की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(6) श्री रघुनंदन शर्मा, सदस्य, बैतूल के जिला न्यायालय परिसर में एक युवक की हत्या होने से उत्पन्न स्थिति की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(7) श्री गौरीशंकर बिसेन, डॉ. ढालसिंह बिसेन तथा श्री रघुनंदन शर्मा, सदस्य, गुना जिले के ग्राम बमोरिया में एक महिला की हत्या होने से उत्पन्न स्थिति की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(8) कुमारी निर्मला भूरिया तथा श्री बच्चन नायक, सदस्य, झाबुआ जिले के ग्राम पिटोल में एक आदिवासी के साथ पुलिस द्वारा दुर्व्यवहार किये जाने से उत्पन्न स्थिति ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(9) सर्वश्री रघुनंदन शर्मा तथा प्रभात कुमार पाण्डेय, सदस्य, जबलपुर जिले के ग्राम मकूरी में पुलिस पिटाई से एक व्यक्ति की मौत होने से उत्पन्न स्थिति की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(10) श्री देवलाल दुग्गा, सदस्य, बस्तर जिले के ग्राम कोण्डे के आदिवासियों के साथ पुलिस कर्मियों द्वारा अकारण मारपीट किये जाने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(11) सर्वश्री नंदाराम सोरी तथा बनवारी लाल अग्रवाल, सदस्य, बस्तर जिले के कुमानार थाने के प्रभारी द्वारा आदिवासी महिला को निर्वस्त्र कर अभद्र व्यवहार किये जाने की घटना की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(12) श्री विक्रम सिंह उसेंडी, सदस्य, बस्तर जिले के भानुप्रतापपुर वन मंडल के अनेक ग्रामों में तेंदूपत्ता श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान न हो पाने की ओर वन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(13) श्री रामदेव सिंह, सदस्य, सतना जिले के ग्राम महाराजपुर के जंगलों में अवैध उत्खनन किये जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर वन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(14) डॉ. रमन सिंह, सदस्य, बस्तर जिले में मजदूरों को काम के बदले अनाज न मिलने की ओर पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

4. याचिकाओं की प्रस्तुति

(1) श्री जालमसिंह पटेल, सदस्य, उज्जैन जिले के ग्राम हरसोदन तथा चक जयरामपुर में पेयजल व्यवस्था कराये जाने ;

(2) श्री अरूण वोरा, सदस्य, दुर्ग जिले के -

(क) अनेक ग्रामों की अपूर्ण उद्‌वहन सिंचाई योजनाओ को पूर्ण कराये जाने ; तथा
(ख) ग्राम कोडिया के पास नाले पर पुल बनाये जाने,

के संबंध मे याचिकायें प्रस्तुत करेंगें.

5. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) डॉ. विजय लक्ष्मी साधो, संस्कृति मंत्री, भारत भवन न्यास (निरसन) विधेयक, 1995 (क्रमांक 15 सन् 1995) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगी तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगी.

(2) श्री तनवंत सिंह कीर, स्थानीय शासन मंत्री, मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि (संशोधन) विधेयक, 1995 (क्रमांक 16 सन् 1995) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.

(3) श्री सुभाष यादव, उप मुख्यमंत्री (सहकारिता), मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 1995 (क्रमांक 17 सन् 1995) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.

निर्धारित समय 1 घन्टा — (4) श्री नर्मदा प्रसाद प्रजापति, राज्यमंत्री ऊर्जा, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश विद्युत शुल्क (संशोधन) विधेयक, 1995 (क्रमांक 13 सन् 1995) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

6. अशासकीय संकल्प

(1) श्री ज्ञान सिंह, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे -

20 मि. " यह सदन केन्द्र शासन से अनुरोध करता है कि भोपाल से दुर्ग व्हाया कटनी-बिलासपुर होकर चलने वाली अमरकंटक एक्सप्रेस को नियमित किया जाये."

(2) श्री कैलाश विजयवर्गीय, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे -

40 मि. " इस सदन का यह मत है कि प्रदेश में कार्यरत अखिल भारतीय एवं राज्य शासन की सेवा के ऐसे समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों से उन्हें आवंटित शासकीय आवास रिक्त कराये जायें, जिनके कि स्वयं के मकान राजधानी भोपाल में हैं या जिन्हें भवन निर्माण हेतु राज्य शासन द्वारा भवन निर्माण अग्रिम दिये हुये एक साल से अधिक का समय हो गया है."

(3) श्री ओमप्रकाश खटीक, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे -

20 मि. " यह सदन केन्द्र सरकार से अनुरोध करता है कि गुना से इटावा स्वीकृत रेल लाइन इन्दौर तक बढ़ायी जाये."

(4) श्री प्यारेलाल चौधरी, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे -

20 मि. " यह सदन केन्द्र सरकार से अनुरोध करता है कि अनुसूचित जाति संसदीय क्षेत्र सागर को सघन जवाहर रोजगार योजना में सम्मिलित किया जावे."

(5) श्री छत्रपति सिंह, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे -

35 मि. " इस सदन का यह मत है कि प्रदेश की सिंचाई का रकबा बढ़ाने के लिये प्रदेश सरकार सार्वजनिक ट्यूब वेल योजना की नीति बनाकर उसे तत्काल प्रभाव से लागू करे."

7. नियम 52 के अधीन आधे घन्टे की चर्चा

दिनांक 23 फरवरी, 1995 को नगरीय कल्याण मंत्री से पूछे गये परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 40 (क्रमांक 1035) के उत्तर से उद्‌भूत विषय पर डॉ. सीतासरन शर्मा, सदस्य, चर्चा उठायेंगे.

शीला खन्ना
सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा

भोपाल :
दिनांक : 4 अप्रैल, 1995